संख्या– / जी0एस0 / शिक्षा / A1-187 / 2013

प्रेषक,

राज्यपाल / कुलाधिपति के प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड देहरादून।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय,
देहरादून।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड देहरादून दिनांक 07 मार्च, 2013

महोदय,

आपके पत्र संख्या–11024 / सम्बद्धता / 2011–12 दिनांक 25 फरवरी, 2012 एंव तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की पत्रावली संख्या–31 / 12 (372 / XLI-1/12) की संस्तुति के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम / कुलाधिपति द्वारा उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 के अध्याय–5 की धारा–24 (2) एवं यथा संशोधित अधिनियम, 2009 के अधीन निम्न संस्थान / कॉलेज को स्तम्भ–3 में वर्णित पाठ्यक्रमों में उनके सम्मुख वर्णित सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्तम्भ–5 में वर्णित अवधि के लिए अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान कर दी गई है :–

क्र. स.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1.	वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, श्रीकोट, श्रीनगर (पौड़ी गढवाल)	एम0बी0बी0एस0	100 सीट्	शैक्षणिक सत्र 2011–12 एवं 2012–13 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण।

1. संस्थान / कॉलेज को शुल्क एंव प्रवेश के सम्बन्ध में शासन / तकनीकी विश्वविद्यालय / नियामक संस्था (M.C.I) द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये गये नियमों एंव आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इसका उल्लंघन पाये जाने पर शासन / तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित संस्थान / कॉलेज के विरूद्व यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

2. शासन अथवा कुलाधिपति द्वारा समय–समय पर स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से संस्था का निरीक्षण किया जा सकता है और पाठयक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किये गये मानकों / आदेशो का अनुपालन न करने पर संस्था के विरूद्व यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

क्रमशः–.....

3. यदि नियामक संस्था विश्वविद्यालय एवं राज्य सरकार से मान्यता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति या मान्यता निरस्तीकरण हेतु कोई आदेश/पत्र प्राप्त होता है, तो संस्थान के विरूद्व तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी तथा प्रवेश की अनुमति नही दी जायेगी।

4. संस्थान द्वारा नियुक्त फैकल्टी स्टाफ यदि किसी अन्य संस्थान में कार्यरत पाये जाने के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित संस्थान के विरूद्व नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

5. संस्थान के कैम्पस में अन्य किसी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी प्रकार का पाठयक्रम संचालित होने की दशा में सम्बन्धित संस्थान के विरूद्व नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

6. पाठयक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा यथा आवश्यक निरीक्षण के उपरान्त संस्तुति किये जाने के पश्चात ही अग्रेत्तर शैक्षिक सत्रों हेतु सम्बद्धता विस्तारण किया जायेगा।

भवदीय,

ह0/

(अशोक)
कुलाधिपति के प्रमुख सचिव

संख्या 4283 (1)/जी0एस0/ A1-187/2013 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली–11
2. प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, पॉकेट–14 सेक्टर–08 द्वारका फेस–1, नई दिल्ली–75
5. प्राचार्य, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, श्रीकोट, श्रीनगर (पौड़ी गढवाल)
6. निदेशक, उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
7. तकनीकी शिक्षा विभाग की पत्रावली हेतु।
8. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(वेदीराम)
कुलाधिपति के उप सचिव।